



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 ज्येष्ठ 1943 (श10)

(सं0 पटना 362) पटना, बृहस्पतिवार, 10 जून 2021

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

10 फरवरी 2021

सं0 5 न0वि0/गठन-13/2020-518/न0वि0एवंआ0वि0—बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले भोजपुर जिला के कॉलम 5 में यथावर्णित चौहद्दी के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों को शामिल कर नगर पंचायत पीरो का नगर परिषद् में उत्क्रमण, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4365 दिनांक-26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर परिषद् के रूप में उत्क्रमित करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं :-

क्रमांक	नगर निकाय का नाम	सम्मिलित ग्रामों का नाम एवं थाना संख्या	सम्मिलित ग्राम पंचायत का नाम	प्रस्तावित नगर निकाय की चौहद्दी (थाना नं0 सहित)	प्रस्तावित नगर पंचायत की कुल जनसंख्या (वर्ष 2011 जनगणना के आधार पर)
1	2	3	4	5	6
1	नगर परिषद् पीरो	नायक टोला—64 बरौली—65 लहराबाद—86 उज्जैन डिहरा—84 बहरी महादेव—63 बचरी चिलबिलिया—101	नायक टोला जंगल महाल (पूर्ण भाग) एवं बचरी (आंशिक)	उत्तर—मोहन टोला एवं गंगाटोला—91, 64 दक्षिण—पीरो बचरी फाल से उत्तर एवं रेलवे लाईन पश्चिम भाग—104 पूरब—पीरो रेलवे स्टेशन से पश्चिम—101 पश्चिम— नवीनगर से बरौली गाँव तक, ओझवलीया पुल से बचरी फाल तक—64	42853

2. इस क्षेत्र को नगर परिषद् पीरो कहा जायेगा।
3. यह अधिसूचना तुरंत प्रवृत्त होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरविन्द कुमार झा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 362-571+200-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>